



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 23 जनवरी, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय कुमार उर्फ गंगाराम पुत्र श्री महाराज सिंह, निवासी जनपद-इटावा की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-3840/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025) दिनांक-29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय कुमार उर्फ गंगाराम पुत्र श्री महाराज सिंह, जो नगला बाबा, थाना-बसरेहर, जनपद-इटावा का निवासी है ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 19.04.2009 को पुरानी रंजिश के चलते वादी के 11 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-170/2009, में भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0) कक्ष सं0-11, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 02.02.2023 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 05.09.2024 तक 15 वर्ष, 04 माह, 10 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष, 08 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु 39 वर्ष, 07 माह, 01 दिन है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 19.04.2009 को पुरानी रंजिश के चलते वादी के 11 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया। जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी संजय कुमार उर्फ गंगाराम पुत्र श्री महाराज सिंह को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय कुमार उर्फ गंगाराम (बन्दी संख्या-19147) पुत्र श्री महाराज सिंह, निवासी जनपद-इटावा को फार्म-ए/लाइसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
- 3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
- 4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय कुमार उर्फ गंगाराम पुत्र श्री महाराज सिंह, जो नगला बाबा, थाना-बसरेहर, जनपद-इटावा का निवासी है ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 19.04.2009 को पुरानी रंजिश के चलते वादी के 11 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-170/2009, में भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0) कक्ष सं0-11, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 02.02.2023 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 05.09.2024 तक 15 वर्ष, 04 माह, 10 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष, 08 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बंदी की आयु 39 वर्ष, 07 माह, 01 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 19.04.2009 को पुरानी रंजिश के चलते वादी के 11 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी संजय कुमार उर्फ गंगाराम पुत्र श्री महाराज सिंह को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।